Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत लूट के साथ हत्या की घटना कारित करने के आरोपी दीपक को बागपत पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 50,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त दीपक पुत्र राजवीर उर्फ लीलू ग्राम हबीबपुर नगला थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वर्ष- 2018 में वादी की दादी के साथ लूट कर उनकी हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0- 180/2018 धारा 449/302/201/394/411 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा मॉनिटरिंग सैल व अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 22.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त दीपक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की बड़ी सफलता है तथा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 22.11.2023**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 990 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 01 किलो 990 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 896/23 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वासिब पुत्र हारून निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 1.990 किलोग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 202 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 22.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 881/23 धारा 457/380 का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक सिलेण्डर व एक अवैध चाकू बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 15.11.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी राशिद पुत्र इस्तेकार निवासी ग्राम निवाडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसकी दुकान का ताला तोड़कर 01 इन्वर्टर, 01 बैट्रा, एक सिलेन्डर चोरी कर लिए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 881/23 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 881/23 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक सिलेण्डर व 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फुरकान पुत्र मकसूद निवासी मौहल्ला मल्लाहान पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 173 रिंकू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 22.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 888/23 धारा 395/412/307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटे हुए रुपयों में से 50,000 रुपये, एक मो0सा0 स्प्लेण्डर नं0 UP-17K-3684 व 02 अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17.11.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री भरत सिंह पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी गांव गोविन्दपुर थाना किठौर जनपद मेरठ ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त उसकी मो0सा0 रोककर तमंचा दिखाकर उससे 1,85000 रुपये , एक टेबलेट व एक बायोमैट्रिक मशीन लूट ले गये हैं। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 888/23 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लुटेरे/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 888/23 धारा 395/412/307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटे हुए रुपयों में से 50,000 रुपये, एक मो0सा0 स्प्लेण्डर नं0 UP-17K-3684 व 02 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में दिनांक 20.11.2023 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस, सर्विलांस सैल एवं एसओजी टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 03 अभियुक्तों 1-आसिफ पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद हाल निवासी संगम विहार दिल्ली (घायल), 2-शहनवाज पुत्र तस्लीम निवासी खिन्दौडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, 3-कामरान पुत्र मौहम्मद अख्तर निवासी मौहल्ला बजरंगबली थाना जाफराबाद दिल्ली को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है एवं गिरफ्तार अभियुक्तों से लूटे हुए रुपयों में से 60,000 रुपये बरामद हुए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1-तैमूस पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम पदडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-गुलफाम पुत्र मौ0 हुसैन उर्फ सैन निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री मधुरश्याम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-निरीक्षक रवेन्द्र सिंह पलावत प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद बागपत।
3-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-का0 44 सजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक 22.11.2023**

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 843/23 धारा 302 भादवि में हत्यारोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही से आलाकत्ल एक फावड़ा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.11.2023 को थाना बड़ौत पर वादी श्री नरेन्द्र पुत्र पीतम सिंह निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त रविन्द्र पुत्र हरबीर निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ने अपने भाई अशोक की धारदार हथियार से चोट मार कर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 843/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 843/23 धारा 302 भादवि में हत्यारोपी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही से आलाकत्ल एक फावड़ा बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

रविन्द्र पुत्र हरबीर निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरे दो छोटे भाई शोकेन्द्र व अशोक की शादी नहीं हुई है। मेरे दोनों भाई सारी जमीन अपने आप बो रहे थे तथा उसका पैसा अपने खाने पीने व मौज-मस्ती में खर्च कर देते थे, मुझे घर के खर्चे के लिए न तो कोई पैसा देते थे तथा न ही मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे रहे थे। मैनें कई बार समझाकर अपने हिस्से की जमीन देने के लिए कहा तो नहीं माने। दिनांक 20.11.2023 की शाम के समय मैनें अशोक से मेरे हिस्से की जमीन छोड़ने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, जिससे मुझे काफी गुस्सा आया और रात्रि में सोते हुए पर फावड़े से कई बार वार करके उसे जान से मार दिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 संजय कुमार शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
2-व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
3-है0का0 572 पुष्पेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
4-है0का0 41 अनुज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
5-है0का0 414 मानसिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
6-है0का0 492 विनित पंवार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनाँक 22.11.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 171/23 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर प्लस नं0 UP-17X-4713 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस थाने के मु0अ0सं0 171/23 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर प्लस नं0 UP-17X-4713 बरामद हुई हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उक्त अभियोग में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा दिनांक 16.11.2023 को 02 अभियुक्तों 1-अमित पुत्र सुनील, 2-आदित्य पुत्र सुनील निवासीगण ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

सूरज पुत्र धनपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **01अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।**
- **एक मोटरसाईकिल हीरो स्पैण्डर प्लस नं0 UP-17X-4713**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-श्री राहुल प्रताप सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
3-का0 1009 तेजेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
4-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 22.11.2023**

थाना खेकडा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लगभग 67 किलोग्राम वायर, 80 किलोग्राम धातु का तार एवं 70 लीटर तेजाब व 80 किलोग्राम गला हुआ प्लास्टिक बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 22.11.2023 को थाना खेकड़ा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम फखरपुर के जंगल में कुछ व्यक्ति अवैध तरीके से भट्टी जलाकर तार/केबल से धातु निकाल रहे हैं। सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना खेकड़ा पुलिस मौके पर पहुंची तथा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 67 किलोग्राम वायर, 80 किलोग्राम धातु का तार एवं 70 लीटर तेजाब व 80 किलोग्राम गला हुआ प्लास्टिक बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-लाल मौहम्मद पुत्र नन्हे खाँ निवासी जवाहर पार्क साहिबाबाद थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

2-रोहित कुमार पुत्र सुखपाल सिंह निवासी ग्राम लधवाड़ी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत\।

बरामदगी का विवरण-

- 67 किलोग्राम वायर।

- 80 किलोग्राम धातु का तार।
- 70 लीटर तेजाब।
- 80 किलोग्राम गला हुआ प्लास्टिक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुखपाल सिंह थाना खेकड़ा।
2-उ0नि0 अबरार हुसैन थाना खेकड़ा।
3-का0 783 हिमाँशू थाना खेकड़ा।
4-है0का0 330 प्रवीन कुमार थाना खेकड़ा।
5-का0 1021 जितेन्द्र थाना खेकड़ा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 22.11.2023**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 02 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 304/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आजाद पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2- का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3- का0 666 रघुवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4- का0 479 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
5- का0 399 राहुल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना एएचटीयू दिनाँक 22-11-2023

थाना एएचटीयू बागपत, श्रम प्रवर्तन अधिकारी व प्रोबेशन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाये गये बाल एवं किशोर श्रमिकों के अवमुक्तीकरण व पुनवार्सन हेतु बाल श्रम अभियान में 03 बाल श्रमिकों का कराया गया रेस्क्यू।

कार्यवाही-

आज दिनांक 22-11-2023 को थाना एएचटीयू बागपत व श्रम प्रवर्तन एवं प्रोबेशन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा “बाल एवं किशोर श्रमिकों के अवमुक्तीकरण व पुनवार्सन हेतु बाल श्रम अभियान” चलाया गया। जिसमें थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से 03 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया

गया। बाल श्रमिकों को मा0 न्यायालय सीडब्लूसी बागपत के समक्ष पेश किया गया। सीडब्लूसी बागपत द्वारा बाल श्रमिकों के परिजनों को भविष्य में बाल श्रम न कराने की चेतावनी देते हुए परिजनों को सुपुर्द किया गया।

रेस्क्यू करने वाली टीम-

1-श्री एसपी गौतम श्रम प्रवर्तन अधिकारी।

3-उ0नि0 अजीत सिंह थाना एएचटीयू मय टीम।

4-श्रीमती प्रीति प्रोबेशन विभाग।